मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 12126 / एनआर–3 / तक. / मनरेगा / 2012 भोपाल, दि. 26/12 / 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला – समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय : – कपिलधारा कूप में रिचार्ज स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से बनाने जाने के संबंध में।

संदर्भ : – 1. विभाग का पत्र क्र. 6077 / 22 / वि–9 / आर.जी.एम / 02 / दि. 07.04.2007
2. म.प्र. रा.रो.गारंटी परिषद् का पत्र क्र. 8920/NR-3/17/09 भोपाल, दि. 10.07.2009

––0––

ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित कपिलधारा उपयोजना के तहत बनाये जाने वाले कूपों में भू–जल पुनर्भरण संरचना (रिचार्ज स्ट्रक्चर) बनाये जाने की अनिवार्यता रखी गई है। संदर्भित पत्र क्र. 2 द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजनांतर्गत निर्मित कूप केवल जल दोहन के साधन न बनकर रहे जायें, इस हेतु निर्मित कूपों के माध्यम से सिंचाई के साथ–साथ जल संरक्षण व जल संवर्धन के कार्य को बढ़ावा देने हेतु कूपों के साथ रिचार्ज स्ट्रक्टर बनाना आवश्यक है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना के तहत निर्मित कूपों पर भू–जल पुनर्भरण संरचना (रिचार्ज स्ट्रक्चर) ऐसे स्थान पर बनाया जावे जहाँ पर वर्षा ऋतु का पानी बहकर आता हो एवं रिचार्ज स्ट्रक्चर से कुऐ को जोड़ा जा सके। रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाये जाने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करावे। यदि क्रियान्वयन एजेंसी अथवा अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा इस कार्य में रूचि नहीं ली जाती है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

समीक्षा बैठकों के दौरान यह बात ध्यान में लाई गई है कि केवल रिचार्ज पिट नहीं बनने के कारण काफी बड़ी संख्या में कूप अपूर्ण हैं। कृपया अपने जिले में ऐसे कूपों की समीक्षा कर संलग्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करावें, तथा विशेष अभियान चलाकर इन अपूर्ण कूपों को पूर्ण करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

12127
पृ.क्रमांक......../एनआर–3/तक./2012 भोपाल, दिनांक 26/12/2012

प्रतिलिपि

6. आयुक्त, म.प्र. रा. रो. गारंटी परिषद्, नर्मदा भवन भोपाल
7. मुख्य अभियंता, ग्रा.यां.सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन भोपाल,
8. मुख्य अभियंता, म.प्र.रा.रो.गारंटी परिषद् पर्यावास भवन भोपाल
9. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) मण्डल, मध्यप्रदेश
10. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त) संभाग, मध्यप्रदेश

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कपिलधारा कूपों में रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाने संबंधी जानकारी (योजना प्रारंभ से) जिला ....माह ....

क्र.	जनपद पंचायत	स्वीकृत कूपों की संख्या	प्रारंभ कूपों की संख्या	पूर्ण कूपों की संख्या	प्रगतिरत कूपों की संख्या	प्रगतिरत कूपों में से ऐसे कूपों की संख्या जो केवल रिचार्ज स्ट्रक्चर नहीं बनने के कारण अपूर्ण हैं
1	2	3	4	5	6	7
	योग					

नोटः—1. कालम नं. 5 में केवल ऐसे कूपों की संख्या दी जावे जिनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हों तथा एम.आई.एस. में प्रविष्टि हो चुकी हो ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ....